न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या .... अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

109/2019

सायल — गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये — बनाम — श्री दौलसिंह पुत्र आसारान सिंह

पटवारी हल्का तानुमानजी — जाति राजपूत निवासी तानुमानजी

तहसील गड़रारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु.। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तानुमानजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम तानुमानजी के खसरा नंबर 1085/231 रकबा 204.09 बीघा में से 5 बीघा किस्म ग.मो. राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरूद्व धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पचास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख अलेवा को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 5.11.19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गड़रारोड़

जुर्माना 50 फसल नि. 350
कुल योग 400 ...जि.के पृष्ठ सं. 37
दप 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार